सं०सं०–अ०सं०क०–10-(WVY)- 46/2022..........614..........

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

प्रेषक,

डॉ० अमीर आफाक अहमद फैजी,
विशेष सचिव–सह–निदेशक

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार (ले० एवं ह०)
पटना।

पटना, दिनांक–**28.12.2025**

विषय – **बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत, वक्फ इस्टेट सं०–521, पुराना किला, जिला– सिवान की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय वक्फ भवन निर्माण कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में राशि ₹200.00 लाख (दो करोड़ रूपये) मात्र रिवॉलविंग फण्ड की राशि की निकासी एवं आवंटन की स्वीकृति।**

आदेशः– स्वीकृत।

महाशय,

बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत बहुउद्देशीय वक्फ भवन निर्माण के उद्देश्य मुस्लिम समाज में फैली अशिक्षा को दूर करना, शैक्षणिक पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिये कार्य करना, सामाजिक उत्थान और समाज में सह–अस्तित्व मानवता एवं नैतिकता की भावना जागृत करना है। प्राकृतिक आपदा आने पर जरूरमंदों की सहायता करना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है। इसकी आय से विभिन्न प्रकार के सामाजिक, कल्याणकारी एवं परोपकारी कार्य आयोजित किये जाते है। जैसे विवाह का आयोजन, जलसा का आयोजन, रमजान के महीने में तरावीह का इंजाम एवं मीलादशरीफ आदि का आयोजन कराया जाता है। इसी उद्देश्य से वक्फ इस्टेट सं०–521, पुराना किला, जिला– सिवान की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय वक्फ भवन निर्माण कार्य हेतु कार्यान्वयन एजेंसी, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना से प्राप्त केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कुर्सी क्षेत्रफल दर 2023 के आधार पर तकनीकी अनुमोदित प्राक्कलन जिसकी प्राक्कलित राशि ₹1215.16 लाख (बारह करोड़ पंद्रह लाख सोलह हजार रूपये) की योजना की प्रशासनिक स्वीकृति विभागीय पत्रांक– 240, दिनांक– 20.08.2024 द्वारा प्रदान की गयी है तथा विभागीय पत्रांक– 252 दिनांक– 27.08.2024 द्वारा राशि ₹607.50 लाख एवं पत्रांक– 231 दिनांक– 09.07. 2025 द्वारा राशि ₹400.00 लाख अर्थात राशि ₹1007.50 लाख की निकासी एवं आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

02. बिहार राज्य वक्फ विकास योजनान्तर्गत, वक्फ इस्टेट सं०–521, पुराना किला, जिला– सिवान की भूमि पर G+3 बहुउद्देशीय वक्फ भवन निर्माण कार्य हेतु राशि ₹1215.16 लाख (बारह करोड़ पंद्रह लाख सोलह हजार रूपये) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025–26 में राशि ₹200.00 लाख (दो करोड़ रूपये) मात्र वक्फ की सम्पत्तियों के विकास हेतु रिवॉलविंग फण्ड की राशि की निकासी एवं आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

03. यह राशि बजट मांग सं०–30 अंतर्गत मुख्यशीर्ष–2250–अन्य सामाजिक सेवाएँ–उपमुख्यशीर्ष–00–लघुशीर्ष–800–अन्य व्यय, उपशीर्ष–0108–वक्फ सम्पत्ति विकास हेतु वक्फ बोर्ड को रिवॉलविंग फण्ड, विषयशीर्ष–31–05 सहायक अनुदान–परिसम्पत्तियों के निर्माण, विपत्र कोड–30–2250008000108 में प्रावधानित राशि से किया जायेगा।

04. इस राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना से कोषागार विपत्र BTC-46 के माध्यम से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा की जायेगी। उक्त राशि निकासी कर "WAQF DEVELOPMENT REVOLVING FUND C/o - BIHAR STATE SUNNI WAQF BOARD, PATNA, का पी०एल० खाता सं०–PTSPLA029 में लेजर का नाम– Waqf Vikas Yojna। लेजर आई०डी० संख्या– 20958 में CFMS के माध्यम से बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना को अंतरित करेंगे। अंतरण के पश्चात CFMS की अंतरण प्रति वक्फ प्रशाखा को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

05. इस राशि का व्यय होने पर अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना के द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र विभाग को 18 माह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजा जा सकें।

06. स्वीकृत रिवॉलविंग फण्ड की राशि का विचलन किसी भी परिस्थिति में अन्य कार्य अथवा अन्य योजना के लिए नही किया जायेगा।

07. स्वीकृत रिवॉलविंग फण्ड की राशि का उपयोग किसी भी परिस्थिति में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार पटना के संकल्प संख्या–1203 दिनांक–14.08.2018 में उल्लेखित प्रावधानों/मार्गनिर्देशिका के अन्यत्र व्यय नहीं किया जायेगा।

08. वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक–7355 (वि०) दिनांक–05.10.2007 के आलोक में इस राशि की निकासी हेतु महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।

कृ०पृ०उ०

09. योजनान्तर्गत बिहार PWD संहिता एवं वित्त विभागीय पत्रांक–4989 वि०(2) दिनांक–16.05.2013 तथा संबंधित अद्यतन परिपत्र/आदेश की भी कंडिकाओं का अनुपालन कार्यकारी एजेंसी द्वारा अपेक्षित होगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निकासी के दौरान वित्तीय नियमावली के नियमों व वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर जारी संकल्पों एवं परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

10. योजना का क्रियान्वयन मार्गनिर्देशिका में वर्णित प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

11. व्यय उसी मद व उसी प्राधिकार द्वारा किया जाना है, जो इसके लिए प्राधिकृत हो।

12. उपर्युक्त पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

13. उपर्युक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–अ०सं०क०–10-(WVY)-46/2022 ....**614**.............../ पटना, दिनांक–**28.12.2025**

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–अ०सं०क०–10-(WVY)-46/2022 ....**614**.............../ पटना, दिनांक–**28.12.2025**

प्रतिलिपि – कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–अ०सं०क०–10-(WVY)-46/2022 ....**614**.............../ पटना, दिनांक–**28.12.2025**

प्रतिलिपि – प्रबंध निदेशक/महाप्रबंधक (परामर्शी सेवा), बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–अ०सं०क०–10-(WVY)-46/2022 ....**614**.............../ पटना, दिनांक–**28.12.2025**

प्रतिलिपि – निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–अ०सं०क०–10-(WVY)-46/2022 ....**614**.............../ पटना, दिनांक–**28.12.2025**

प्रतिलिपि – मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक

ज्ञापांक–अ०सं०क०–10-(WVY)-46/2022 ....**614**.............../ पटना, दिनांक–**28.12.2025**

प्रतिलिपि – आई०टी० प्रबंधक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

विशेष सचिव–सह–निदेशक 27/12